TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by second proviso to section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3, dated 09.03.2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, after the existing serial number 3 and entries thereto, following new serial number 4 and 5 and entries thereto shall be added, namely: -

- "4. All categories of Goods Vehicles having Gross Vehicle Weight more than 7500 kg and upto 12000 kg.
- All Private Service Vehicles with seating capacity upto 12 excluding driver."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27A] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179) परि/ टैक्स/ एचक्यू/ 95/3 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 4 और 5 और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जारेंगी, अर्थात्:-

- ''4. 7500 किया से अधिक और 12000 किया तक सकल यान भार वाले माल यान के समस्त प्रवर्ग।
- 5. ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की बैटक क्षमता वाले समस्त प्राइवेट सेवा यान।"

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27ए] राज्यपाल के आदेश से,

> डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव